न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 275/2023 निर्णय दिनांकः–05.05.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

भूरालाल पुत्र स्व0 कल्याण जाति जाट उम्र बालिग निवासी लाखोलाई तहसील देवली जिला टोक राज0 –प्रार्थी–

बनाम

1. गोपाल पुत्र गोकुल जाति जाट उम्र बालिग निवासी लाखोलाई तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रतिराम पुत्र गोकुल जाति जाट उम्र बालिग निवासी लाखोलाई तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. ~~गोसी पत्नि गोकुल जाति जाट उम्र बालिग निवासी लाखोलाई तहसील देवली जिला टोंक राज0~~ मृतक (डिलिट)
4. करमा पुत्री गोकुल पत्नि कालू जाति जाट उम्र बालिग हाल निवासी रामपुरा पंचायत आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. सोदरा पुत्री गोकुल पत्नि लेखराज जाति जाट हाल निवासी सतवाड़ा पंचायत देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. प्रहलाद पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी लाखोलाई तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. शंकर पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी लाखोलाई तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. कूंरी पुत्री कल्याण पत्नि काना जाति जाट निवासी लाखोलाई हाल झराणाबास, काकलवाड़ तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
9. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, टोंक
10. उप पंजीयक/तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक

–अप्रार्थीगण–

– उपस्थिति –
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रमेश कुमार शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 8
प्रतिवादीगण संख्या 8
इकबालिया जवाब

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इंद्राज,एवं स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

5.5.25

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय / आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता कल्याण पुत्र हरदेवा जाट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि साबिक ख. नं. 823 रकबा 1 बीघा 4 बीसवा, ख. नं. 1063 रकबा 3 बीघा 15 बीसवा, ख. नं. 1108 रकबा 1 बीघा 15 बीसवा, ख. नं. 1110 रकबा 16 बीसवा, ख. नं. 1658 रकबा 20 बीघा 5 बीसवा, ख. नं. 1659 रकबा 3 बीसवा, ख. नं. 1660 रकबा 8 बीघा, ख. नं. 1774 रकबा 1 बीघा 5 बीसवा, ख. नं. 1880 रकबा 12 बीघा 9 बीसवा, ख. नं. 1776 रकबा 18 बीसवा, ख. नं. 1864 रकबा 4 बीघा 11 बीसवा, ख. नं. 2043 रकबा 7 बीघा 3 बीसवा, ख. नं. 1854 / 3254 रकबा 1 बीघा 5 बीसवा कुल किता– 13, कुल रकबा 63 बीघा 8 बीसवा वाके ग्राम लाखोलाई पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त साबिक ख. नं. के हाल खाता संख्या 25 ख. नं. 345 रकबा 1.96 है0 तथा खाता संख्या 84 ख. नं. 447 रकबा 2.07 है0., ख. नं. 448 रकबा 0.42 है0 तथा खाता संख्या 157 ख. नं. 153 रकबा 0.22 है0, ख. नं. 154 रकबा 0.10 है0 ख. नं. 346 रकबा 2.67 है0 कुल किता–3, कुल रकबा 2.99 है0 तथा खाता संख्या 42 ख. नं. 457 रकबा 2.58 है0, ख. नं. 502 रकबा 0.22 है0, ख. नं. 503 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 504 रकबा 0.10 है0. ख. नं. 505 रकबा 0.19 है0 कुल किता–5 कुल रकबा 3.10 है0 तथा खाता संख्या 138 ख. नं. 108 रकबा 0.60 है0. ख. नं. 109 रकबा 0.48 है0, ख. नं. 111 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 112 रकबा 0.68 है0, ख. नं. 415 रकबा 1.05 है0 ख. नं. 501 रकबा 0.35 है0. कुल किता–6 कुल रकबा 3.22 है0 वाके ग्राम लाखोलाई एवं खाता संख्या 39 ख. नं. 798 रकबा 0.12 है0 एवं खाता संख्या 37 ख. नं. 799 रकबा 0.76 है0, ख. नं. 800 रकबा 0. 44 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.20 है0 तथा खाता संख्या 371 ख. नं. 795 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 बनाये गये है। प्रार्थी के पिता कल्याण ने अपने जीवनकाल मे ही अपनी समस्त आराजीयात का बंटवारा कर दिया था जिसके तहत हाल खाता संख्या 25 ख. नं. 345 रकबा 1.96 है0 एवं खाता संख्या 39 ख. नं. 798 रकबा 0. 12 है0 एवं खाता संख्या 37 ख. नं. 799 रकबा 0.76 है0, ख. नं. 800 रकबा 0. 44 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 1.20 है0 की भूमि कल्याण के रही तथा आराजी भूमि खाता संख्या 84 ख. नं. 447 रकबा 2.07 है0, ख. नं. 448 रकबा 0.42 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 2.49 है0 प्रार्थी के भाई देवा पुत्र कल्याण जाट की खातेदारी में लगा दी गई तथा खाता संख्या 157 ख. नं. 153 रकबा 0.22 है0 ख. नं. 154 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 346 रकबा 2.67 है0 कुल किता–3, कुल रकबा 2.99 है0 तथा खाता संख्या 371 ख. नं. 795 रकबा 0.24 है0 भूमि को प्रार्थी के भाई रंगलाल की खातेदारी में लगा दी गई तथा खाता संख्या 42 ख. नं. 457 रकबा 2.58 है0, ख. नं. 502 रकबा 0.22 है0, ख. नं. 503 रकबा 0.01 है0, ख. नं.

5.5.15

504 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 505 रकबा 0.19 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 3.10 है0 भूमि को प्रार्थी के भाई गोकुल की खातेदारी में लगा दी गई तथा खाता संख्या 138 ख. नं. 108 रकबा 0.60 है0, ख. नं. 109 रकबा 0.48 है0, ख. नं. 111 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 112 रकबा 0.68 है0, ख. नं. 415 रकबा 1.05 है0, ख. नं. 501 रकबा 0.35 है0, कुल किता–6 कुल रकबा 3.22 है0 प्रार्थी की खातेदारी मे लगा दी गई।

कल्याण पुत्र हरदेवा

देवा पुत्र (लाऔलाद फोत)	रंगलाल पुत्र (मृतक) प्रतिवादी संख्या 1 ता 5	भूरालाल पुत्र प्रार्थी	गोकुल पुत्र (मृतक) प्रति0संख्या 6 व 7	कूरी पुत्री प्रति0 संख्या 8

प्रार्थी के पिता स्व0 कल्याण के चार पुत्र देवा, रंगलाल, भूरालाल, गोकुल हुये तथा एक पुत्री कूरी हुई। प्रार्थी का भाई देवा लाऔलाद फोत हो गया था तथा प्रार्थी का भाई गोकुल अपने पिता कल्याण के जीवनकाल में ही उद्धा के गोद चला गया था। गोकुल व रंगलाल की मृत्यु हो चुकी है। मृतक गोकुल के प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 5 एवं मृतक रंगलाल के प्रतिपक्षी संख्या 6 व 7 जायज वारिसान है जिनको पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिपक्षी संख्या 8 कल्याण की पुत्री है। गोकुल के गोद चले जाने के बाद उसके दत्तक पिता उद्धा की समस्त चल अचल सम्पत्ति गोकुल के नाम आ गई थी तथा गोकुल का अपने प्राकृतिक पिता कल्याण पुत्र हरदेवा एवं भाई देवा की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में कानूनन कोई हक व अधिकार नही रहा है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 6 ता 8 का मृतक कल्याण एवं देवा की उक्त वर्णित आराजीयात मे कानूनन हक व अधिकार है तथा कब्जा है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, प्रतिपक्षीगण संख्या 6 व 7 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिपक्षीया संख्या 8 का 1/3 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 6 ता 8 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है तथा प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 5 का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में कोई कब्जा नही है। प्रार्थी के पिता कल्याण द्वारा भूमि का बंटवारा करने के बाद प्रार्थी का भाई गोकुल, उद्दा के गोद चला गया था तथा उद्दा की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी की आराजी भूमि गोकुल की खातेदारी मे दर्ज हो गई तथा बंटवारे में आयी आराजी भूमि वर्तमान मे प्रार्थी के भाई गोकुल की खातेदारी मे चली आ रही है जिसको प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण संख्या 6 ता 8 अपनी खातेदारी मे लगाने के अधिकारी है। प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 5 गोकुल के वारिस है तथा प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 के मन मे जमीन की कीमतो मे वृद्धि होने से बेईमानी आ गई तथा कल्याण एवं गोकुल

5.5.15

की मृत्यु के बाद अपने नाम नामांतकरण खुलवाने पर आमादा हो रहे है जबकि प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 5 एवं इनके पिता गोकुल का प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खाता संख्या 42, 25, 84, 39, 37 की भूमि से किसी प्रकार का संबंध नही है और ना ही कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति मे प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात खाता संख्या 42, 25, 84, 39, 37 की भूमि का नामांतकरण अपने नाम नही खुलवाये तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजामहत नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 10 को भी पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा तथा मुकदमे बाजी बढ़ेगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाये कि वह प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात खाता संख्या 42, 25, 84, 39, 37 की भूमि का नामांतकरण अपने नाम नहीं खुलवाये तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजामहत नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 10 को भी पाबंद किया जाये कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र चरण नं. 1 में केवल उक्त उनवानी वाद पेश करना स्वीकार हैं शेष गलत हैं, अस्वीकार हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस सिद्ध नहीं हैं। सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हैं। प्रार्थी को उक्त वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 जिस पकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 9 जिस पकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 10 जिस पकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 11 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है।

5.5.15

अतिरिक्त कथन – प्रार्थना पत्र में वर्णित आराज़ीयात के संबंध में कल्याण की मृत्यु के बाद आपसी सहमति से एक पंचनामा संवत् आषाढ सुदी एकादशी संवत् 2052 का. पंचो द्वारा लिखा गया था। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो की उपस्थिति में लिखा गया था। जिसमें प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी नं. 1 ता 2 व अप्रार्थीगण नं. 4 ता 7 के दादा कल्याण की समस्त आराजीयात के बराबर–बराबर 3 हिस्से भूरा, गोकुल व रंगलाल के मध्य कर दिय गये थे। उसी के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। इसी प्रकार पंचनामा में उद्दा की भूमि को भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं. 1 ता 2 व अप्रार्थीगण नं. 4 ता 7 के. पिता के बराबर हिस्सो में बंटवारा कर लिया गया था। जिसके अनुसार काबिज काश्त है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ गोकुल का किसी प्रकार का गौदनामा पेश नहीं किया गया है। क्योंकि गोकुल उद्दा के गौद गया ही नहीं। जबकि कल्याण व देवा की सम्पूर्ण आराजीयात में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर–बराबर हिस्सा कानूनन बनता है। जिस पर हिस्सानुसार काबिज–काश्त है। गोकुल कभी भी गौद नहीं गया है। उद्दा ने गोकुल को उसकी सेवा–सुश्रुषा से प्रसन्न होकर जमीन दी थी।अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 7 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 8 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 9 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 10 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पेरा संख्या 11 स्वीकार है।अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे इसमे मुझ प्रतिपक्षीया संख्या 9 को कोई आपत्ति नही

अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 का कोई उज्र नहीं होने से इनके बारे में विचार नहीं किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कही भी यह साबित नहीं किया है कि गौकुल पुत्र कल्याण उदा के गोद गया है। उदा गौद गया ही नहीं । इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का बराबर हिस्सा कानूनन बनता है। प्रार्थी, अप्रार्थी को अवैधानिक रूप से पाबन्द नहीं करवा सकता है। यदि पाबन्द करवाता है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

5.5.15

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओ पर निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार खाता संख्या भूरा पुत्र कल्याण के नाम खाता संख्या 138 ख. नं. 108 रकबा 0.60 है0, ख. नं. 109 रकबा 0.48 है0, ख. नं. 111 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 112 रकबा 0.68 है0, ख. नं. 415 रकबा 1.05 है0, ख. नं. 501 रकबा 0.35 है0, कुल किता–6 कुल रकबा 3.22 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

खाता संख्या खाता संख्या 157 ख. नं. 153 रकबा 0.22 है0 ख. नं. 154 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 346 रकबा 2.67 है0 कुल किता–3, कुल रकबा 2.99 है0 तथा खाता संख्या 371 ख. नं. 795 रकबा 0.24 है0 भूमि रंगलाल पुत्र कल्याण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या 42 ख. नं. 457 रकबा 2.58 है0, ख. नं. 502 रकबा 0.22 है0, ख. नं. 503 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 504 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 505 रकबा 0.19 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 3.10 है0 भूमि गोकुल पुत्र कल्याण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या 41 ख. नं. 145 रकबा 0.11 है0, ख. नं. 146 रकबा 0.16 है0, ख. नं. 156 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 393 रकबा 1.13 है0, ख. नं. 395 रकबा 0.91 है0 कुल किता–5, कुल रकबा 2.41 है0 एवं खाता संख्या 90 ख. नं. 792 रकबा 0.52 है0 व ख. नं. 797 रकबा 0.23 है0 गोकल दतक पुत्र उदा कोम जाट सा. देह खातेदारी

खाता संख्या 25 ख. नं. 345 रकबा 1.96 है0 एवं खाता संख्या 39 ख. नं. 798 रकबा 0.12 है0 एवं खाता संख्या 37 ख. नं. 799 रकबा 0.76 है0, ख. नं. 800 रकबा 0.44 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 1.20 है0 की भूमि कल्याण पुत्र हरदेवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या 84 ख. नं. 447 रकबा 2.07 है0, ख. नं. 448 रकबा 0.42 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 2.49 है0 भाई देवा पुत्र कल्याण जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है।

भू–प्रबन्ध विभाग की खतोनी बन्दोबस्त जमाबन्दी 2024–28 अनुसार साबिक ख. नं. 823 रकबा 1 बीघा 4 बीसवा, ख. नं. 1063 रकबा 3 बीघा 15 बीसवा, ख. नं. 1108 रकबा 1 बीघा 15 बीसवा, ख. नं. 1110 रकबा 16 बीसवा, ख. नं. 1658 रकबा 20 बीघा 5 बीसवा, ख. नं. 1659 रकबा 3 बीसवा, ख. नं. 1660 रकबा 8 बीघा, ख. नं. 1774 रकबा 1 बीघा 5 बीसवा, ख. नं. 1880 रकबा 12 बीघा 9 बीसवा, ख. नं. 1776 रकबा 18 बीसवा, ख. नं. 1864 रकबा 4 बीघा 11 बीसवा, ख. नं. 2043 रकबा 7 बीघा 3 बीसवा, ख. नं.

5.5.25

1854/3254 रकबा 1 बीघा 5 बीसवा कुल किता– 13, कुल रकबा 63 बीघा 8 बीसवा वाके ग्राम लाखोलाई पटवार हल्का राज़महल तहसील देवली कल्याण वल्द हरदेवा कोम जाट सा. लाखोलाई खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिनके प्रार्थना पत्र अनुसार हाल उक्त खसरा नम्बरान बने है।

उक्त रिकॉर्ड का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि प्रार्थी अनुसार प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही सम्पति का बंटवारा करके अपनी आराजियात को अपने पुत्रो के नाम उक्तानुसार लगा दी गई जबकि गोकुल पुत्र कल्याण जो कि प्रार्थी का भाई है, उद्दा के गोद चला गया जिससे कल्याण से उसके पुत्रो को प्राप्त आराजी पर उसका कोई हक व हकूक नहीं है। गोकुल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 है।

प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर इस तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित हो कि गोकल पुत्र कल्याण उदा के गोद चला गया हो। यद्यपि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम लाखोलाई में खाता संख्या 41 व खाता संख्या 90 की आराजी में गोकल दतक पुत्र उदा का अंकन है परन्तु अप्रार्थी द्वारा पेश पंचानामा आषाढ सुदी प्रतिपद 11 सम्वत 2052 अनुसार उल्लेखित है कि हमारे तीनो भाईयों की जमीन व हमारे पिताजी कल्याण जी के खाते की जमीन मे हम तीनो भाईयों ने अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी पांती कर रखी है जो सही है और उदा जी छागल्या की जमीन में तीनो भाईयों की पांती है। इस पंचनामे पर मोतबिरान के हस्ताक्षर है।

उक्त विवेचन में प्रार्थी यह साबित नही कर पाया कि गोकल पुत्र कल्याण, उदा जी को गोद चला गया हो और उदा की जमीन पर कल्याण के तीनो भाईयों का कब्जाकाश्त न हो।

विवादित भूमि पर कब्जेकाश्त व अधिकार का निर्धारण वाद में साक्ष्य व सबूत के माध्यम से हो सकेगा। वर्तमान स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 खातेदार को पाबन्द करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे न होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति :– चूकि प्रथम दृष्टया मामले के बिन्दू से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के पूर्वज एवं अप्रार्थी संख्या 8 है। चंकि उक्त विवादित आराजी के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को पाबन्द किया जाता है तो वे अपने हक से वंचित हो जाऐंगे। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन अप्राथीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में है।

यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को ही होगी । अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में है।

5.5.25

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पक्ष में निर्णित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए अस्वीकार/खारिज किया जाता है और अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.07.2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 05.05.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner